न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 23/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सुनील प्रभु पुत्र स्व. श्री जे एम प्रभु (विक्रेता), मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।
2. श्रीमती विनीता अशित जैन पत्नी श्री अशित जैन (प्रोपराईटर), मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।
3. मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री आफताब आलम

—: आदेश :—

दिनांक— 08.10.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्स्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ, संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.05.2024 को 05::00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री सुनील प्रभु मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय 40 कार्टून (12 X 100 ग्राम) पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) में मिलावट का शक

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 20 x 100 ग्राम पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) 920/– रूपयें श्री सुनील प्रभु को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुनील प्रभु को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) के चार भाग 20 x 100 मूल पैक से तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4333 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/4025 दिनांक 09.07.2024 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. पीएच लैब/एलएस/2064/एक्ट/2024/2416 दिंनांक 24.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय अपील हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 20.05.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री आफताब आलम ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री आफताब आलम ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्री सुनील प्रभु को मालिक बताया गया है जबकि मालिक श्रीमती विनीता अशित जैन है। मौका फर्द में फर्म के रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है जबकि इसकी प्रति उपलब्ध करवा दी गयी थीं। न ही फर्म का नाम व रजिस्ट्रेशन की वैद्यता अंकित है, जिस गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है, उसका नाम पता भी अंकित नही है। उन्होने यह भी कथन कियाा कि अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म द्वारा नमूना हेतु विक्रय किये गये उत्पाद पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) का निर्माण नहीं किया जाता है। उनकी फर्म, मदर स्पाईसिस ब्राण्ड की अधिकृत डीलर है तथा इसकी निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित किये गये मसालों के वितरण का कार्य किया जता है। अप्रार्थीगण को न तो नियमों की जानकारी है और न ही उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। पैकेट पर साल्ट सहित अन्य संघटकों की सही मात्रा का प्रकाशन किया जाना मदर स्पाईसेज फर्म की ज़िम्मेदारी है जबकि निर्माता फर्म मदर स्पाईसेज को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। उन्होने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण पर कोई जुर्माना अधिरोपित नही किया जाकर उत्पाद निर्माता फर्म द्वारा नियमों का उल्लंधन किये जाने के कारण जुर्माना वसूल किया जावे।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जॉच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जॉच हेतु विक्रय किया गया पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) में साल्ट का प्रतिशत मानक से अधिक पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक (फूड प्रोडक्टस स्टेण्डर्ड एण्ड

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

फूड एडिटिव) मानक 2011 के मानक संख्या 2.9.20(2)(6) के विपरीत होने से उक्त पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूकि प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट Vए में उत्पाद के निर्माता एवं बैच नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन किया है, अतः यह प्रार्थी के संज्ञान में है कि उक्त उत्पाद जयपुर जिला उप्पादक सहकारी संघ लि, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी या उनके किसी अधिकृत नॉमिनी या थोक विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी खुदरा विक्रेता (रिटेलर) है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाये गये खाद्य अनुज्ञा पत्र के अनुसार अप्रार्थी खुदरा विक्रेता (रिटेलर) के रूप में व्यवसाय कर रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये खाद्य उत्पाद पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग या लेबलिंग नहीं की गयी है तथा उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जाना एक गम्भीर विधिक त्रुटि है। विचाराधीन परिवाद में अप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(ख)(2)(घ)(I) के प्रावधान भी प्रभावी नहीं हो रहे है।

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद पनीर मसाला (मदर्स किचन ब्राण्ड) की विनिर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त परिवाद विधिक दृष्टि से दोषयुक्त होने के कारण पुनः लौटाया जाकर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि परिवाद का पूर्णतया परीक्षण कर, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों/कम्पनियों को पक्षकार बनाया जाकर पुनः परिवाद प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री सुनील प्रभु पुत्र स्व. श्री जे एम प्रभु (विक्रेता), मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।
5. श्रीमती विनीता अशित जैन पत्नी श्री अशित जैन (प्रोपराईटर), मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।
6. मैसर्स एन के एन्टरप्राइजेज, कृष्ण ग्रोपाल आयुर्वेद ट्रस्ट के सानने, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पालरा, परबतपुरा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी